**L. C. BILL No. I OF 2026.**

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

**विधान परिषद का विधेयक क्रमांक १ सन् २०२६।**

**महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

**क्योंकि** राज्य विधानमंडल दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

**और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, १८ फरवरी २०२६ को प्रख्यापित किया गया था;

सन् २०१७ का महा. ६

सन् २०२६ का महा. १

(शा.म.मु.)एचबी ३१३३–१ (१००-२-२०२६)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एत्द्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

**१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए ।

(२) यह १८ फ़रवरी, २०२६ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १०९ में संशोधन।

**२.** महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें मागे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की, धारा १०९ की उप-धारा (३) के,— सन् २०१७ का महा. ६ ।

(१) खण्ड (घ) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् , निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"परंतु यह और भी कि, अकादमिक वर्ष २०२६-२७ के लिए राज्य सरकार १५ मार्च, २०२६ पर या के पूर्व आशय पत्र अनुदत्त कर सकेगी।" ;

(२) खण्ड (छ) का द्वितीय परंतुक और सारणी अपमार्जित की जाएगी ।

सन २०२६ का महा. अध्या. क्र.१ का निरसन और व्यावृत्ति।

**३.** (१) महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, एतदद्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र.१ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्याधेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) की धारा १०९, नए महाविद्यालय या नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय विभाग या उपग्रह केंद्र शुरू करने की अनुमति माँगने की प्रक्रिया के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा १०९ की उप-धारा (३) का खण्ड (घ) यह उपबंध करता है कि, विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों में से राज्य सरकार, उक्त धारा १०९ के खण्ड (ग) के अधीन विश्वविद्यालय की सिफारिशों के पश्चात् तत्काल अनुवर्ती वर्ष के ३१ जनवरी को या के पूर्व आशय पत्र अनुदत्त कर सकेगी ।

**२.** स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन के लिए आचार संहिता के कारण सरकार, विहित अवधि के भीतर आशय पत्र देने के लिए समर्थ नहीं थी। इसलिए, सरकार धारा १०९ की उप-धारा (३) का खण्ड (घ) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है, ताकि अकादमिक वर्ष २०२६-२०२७ के लिए नया महाविद्यालय या उच्चतर शिक्षा की संस्था शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र अनुदत्त करने का दिनांक विस्तारित कर सकेगी।

**३.** चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. १) १८ फ़रवरी, २०२६ को प्रख्यापित किया गया था ।

**४.** प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २७ फ़रवरी, २०२६।

**चंद्रकांत (दादा) पाटील,**
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

**विधान भवन,**
मुंबई,
दिनांकित २७ फरवरी, २०२६.

**श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,**
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

**डॉ. विलास आठवले,**
सचिव-३,
महाराष्ट्र विधानपरीषद।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.